

निगम क्षेत्र में बनेगा भिलाई बिजनेस टॉवर

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जी.ई. रोड के किनारे संजय नगर सुपेला में वर्क नियर होम के उद्देश्य को लेकर भव्य भिलाई बिजनेस टॉवर का निर्माण करने की महापौर परिषद द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर शहर के विकास में एक नये अध्याय कि शुरुवात की है। महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में अधीक्षण अभियंता, दीपक जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जोन एक के संजय नगर वार्ड नौ जी.ई.रोड के किनारे रिक्त तीन एकड़ की भूमि मे से 30 हजार वर्गफीट भूमि पर निगम द्वारा स्टील्डि पार्किंग सहित 6 तलों का भव्य वाणिज्यिक भवन के रूप में भिलाई बिजनेस टॉवर के निर्माण का प्रस्ताव एम.आई.सी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। महापौर नीरज पाल के द्वारा सदस्यों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने के निर्देश पर श्री जोशी ने बताया कि प्रस्तावित भवन में मिटिंग हॉल , ऑफिस, सी.ए., आई.टी. प्रोफेशनल , अधिवक्ता, पेशेवर डिजाईनर, लाईब्रेरी, व्यायम शाला , कैफे एरिया , डाटा सेंटर , लंच रूम , कैन्टीन, सेन्ट्रल स्टोर , हाउस किपिंग , शौचालय, सहित शहर की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। भवन का निर्माण 160.68 करोड़ की कुल लागत से होगा। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने भवन की विशेषताओं को समझने के उपरांत परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव को सामान्य सभा एवं राज्य शासन को भी प्रेषित किया जायेगा। बैठक में कुल 10 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिनमें से विकास कार्य हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। वहीं सुरक्षा गार्ड की भर्ती के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये है। बैठक में महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य लक्ष्मीपति राजू , एकांश बंधोर, सी.जू एन्थोनी, केशव चौबे, संदीप निरंकारी, साकेत चंद्राकर, लाभचंद वर्मा, चन्द्रशेखर गंवई, श्रीमती मालती ठाकुर , रीता गेरा , नेहा साहू , मिरा बंजारे सहित उपायुक्त रमाकांत साहू , जोन आयुक्त ऐशा लहरे , एन.आर.रत्नेश, कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा , टी.पी. रणदिवे, संजय बागडे, परियोजना के अजय गौर , निगम सचिव जीवन वर्मा उपस्थित थे।

